

संपादकीय

शिक्षा का सफर

अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के नतीजे जहां कुछ मोर्चे पर खुशी देते हैं, वही कुछ मोर्चे पर बुनीदी भी पेश करते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उच्च शिक्षा में छात्राओं का नामांकन पिछले वर्षों में बढ़ा है। साल 2015-16 से 2019-20 तक पांच वर्षों में उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में 18.2 फीसदी की वृद्धि हुई है, जबकि कूल नामांकन में 11.4 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी यह सर्वेक्षण भारत में महिला शिक्षा सुधार की गति दर्शाता है। वैसे हम इस मोर्चे पर ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे और हमें ऐसा करना ही चाहिए था। इसलिए यह प्रगति तुलनात्मक रूप से बेहतर भले लगे, पर समझता में पर्याप्त नहीं है। उच्च शिक्षा में महिलाओं के बढ़ते नामांकन से हमें अभिन्नता होना चाहिए। अपनी महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में लंबी खाई को उतारना है। उपरोक्त के साथ मिनिकर शिक्षा के स्तर को ऊंचा उतारा है। अभी इतना जरूर कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी उनकी बुनियादी मजबूती का संकेत है। शिक्षित महिलाएं ही श्रेष्ठ विकासित समाज का आधार बन सकती हैं। शिक्षा का यह मजबूत आधार महिला शिक्षा के साथ ही पुरुषों की शिक्षा को भी बढ़ा प्रदान करेगा और भारत की व्यापक बढ़दी है। हालांकि, सर्वेक्षण में यह भी पाया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के शिक्षा संस्थानों में छात्राओं की हिस्सेदारी कम है। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी अकादमिक पाठ्यक्रमों की तुलना में कम है। सर्वेक्षण स्पष्ट संकेत कर रहा है कि लड़कियों को राष्ट्रीय महत्व के शिक्षा संस्थानों में अपनी पैठ बढ़ानी चाहिए। ऊंचे वर्षों पर शिक्षण से प्राप्त एक वृद्धि के बूते राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में लड़कियों के लिए पर्याप्त जगह बन सकती है। लेकिन आज के समय में भी अग्र ज्यादातर महिलाएं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रति लगाव नहीं रही हैं, तो विंता वाजिं है। आर्थिक, सामाजिक मजबूती के लिए लड़कियों को रोजगार के जीखिम और मेहनत भरे पाठ्यक्रमों में भी जोर आजमाना चाहिए। अकादमिक पढ़ाई से एक स्तर तक ही लाभ है, जबकि व्यावसायिक पढ़ाई उद्यम के ज्यादा सार-चाहरा का भी नामांकन नहीं हो पाया है, तो हमें यही अपना एक प्रतिशत छात्र-चाहरा का भी नामांकन करती है। इसके बाद राष्ट्रीय महत्व के शिक्षा संस्थानों में अपनी घोषणा की जाएगी। अभी इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारत में पीढ़ीची में अग्र एक प्रतिशत छात्र-चाहरा का भी नामांकन नहीं हो पाया है, तो हमें यही दोनों छात्राओं की बोलाना होगा। पीढ़ीची का आर्थिक वर्षों कम हुआ है? वया पीढ़ीची से वाजिं नौकरी मिल जाती है? फ्रेस्ट्रो सर्वेक्षण में कूल 1,019 विश्वविद्यालयों, 39,955 कॉलेजों और 9,599 एकल संस्थानों ने भाग लिया है, यह दोहरा बड़ा होना चाहिए। खुशी की बात है, उच्च शिक्षा में नामांकित कूल छात्रों में से अनुसूचित जाति के छात्र 14.7 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के 5.6 प्रतिशत और 37 प्रतिशत छात्र अन्य पिछड़ा वर्ग से थे। 5.5 प्रतिशत छात्र मुस्लिम अल्पसंख्यक और 2.3 प्रतिशत छात्र अन्य अल्पसंख्यक समुदायों से थे। एक बात गौर करने की है कि भारत में 78.6 प्रतिशत से अधिक कोलेज नौकरी खोने द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो कूल नामांकन का 66.3 प्रतिशत है। भारत जैसे देश में ज्यादातर शिक्षा का काम सरकार के जिम्मे ही होना चाहिए, अग्र ऐसा होता, तो शायद हमारे यहां शिक्षा की स्थिति ज्यादा बेहतर और समर्वेशी होती।

‘आज के ट्वीट

सहायता



कोविड-19 महामारी के कारण अपने पति को खो चुकी विधवा महिलाओं को भी राज्य सरकार द्वारा एकमुक्त एक लाख रुपये की सहायता अनुदान के रूप में दी जाएगी। साथ ही, ऐसी विधवाओं को प्रतिमाह डेंड हगार रुपये विधवा पैशून दी जाएगी। इसके लिये आयु वर्ग एवं आय की कोई नी सीमा नहीं होगी। -मु. अशोक गहलोत

ज्ञान गंगा

भारतीय संस्कृति

सकता है। ऐसी दशा में किसी सर्वज्ञ सर्व समर्थ सत्ता की कर्मफल व्यवस्था का अकृश्य ही उसे सदाचरण की मर्यादा में बोधे रह सकता है। परलोक की, सर्व नक्की की, पुनर्जन्म की मान्यता समझाती है कि आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर्म का फल भोगा पड़ेगा। दुर्दृश्य का लाभ उठाने वाले यह न सोचें कि उनको चुरूरता सदा काम देती रहेगी और वे पाप के लाभाविक होते रहेंगे। यही प्रीकार के निन्हें सरकरों के सत्तर्कारों के आशयकर्ता नहीं हैं। अपले दिनों वे भी अदृश्य व्यवस्था के आधार पर पिल कर रहे हैं। सचित, प्रारब्ध और क्रियान्वयन कर्म सम्यादुरा फल देते रहते हैं। इस मान्यता को अपनाने वाला न तो निर्भय होकर दुर्दृश्य पर उत्तरांश के उत्तरांशीयों से निश्चय। अन्य वर्ष जहां अमृक मत का अवलोकन अव्याप्त प्रथा प्रतिष्ठान आगा ने मात्र रो इर्षा के प्रस्त्रता और अनुग्रह की बात कहते हैं, वहां भारतीय धर्म में कर्मफल की मान्यता को प्रशंसनी दी गई है और दुर्दृश्यों का प्रायश्चित्त करके क्षति पूर्ति करने को कहा गया है। कर्मफल की मान्यता नौकरी के लिए अपने तारीफ के अंग बने रहने की छूट है, जबकि उनके लिए धर्मों के द्वारा बंद है। भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता है कर्मफल की मान्यता। पुनर्जन्म के सिद्धांत में जीवन का अवलोकन की निराश होने की आशयकर्ता नहीं है। अपले दिनों वे भी अदृश्य व्यवस्था के अधार पर पिल कर रहे हैं। इस मान्यता को अपनाने वाला न तो निर्भय होकर दुर्दृश्य पर उत्तरांश के उत्तरांशीयों से निश्चय। अन्य वर्ष जहां अमृक मत का अवलोकन अव्याप्त प्रथा प्रतिष्ठान आगा ने मात्र रो इर्षा के प्रस्त्रता और अनुग्रह की बात कहते हैं, वहां भारतीय धर्म में कर्मफल की मान्यता को प्रशंसनी दी गई है और दुर्दृश्यों का प्रायश्चित्त करके क्षति पूर्ति करने को कहा गया है।

डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

राजनीति हुई, उसके आधार पर वया निष्कर्ष निकाला जाए। वया सर्वकृष्ण शुनियोजित नहीं लगता, वया भारत का विषय पुरी दुनिया में विल्कुल अलग दिखाई नहीं दे रहा था। वया सरकार के विशेष की धूम में राष्ट्रीय सम्मान को धूमित करने का जाने अनजाने वाला न तो पिछड़ी विशेषता के अंग बने रहने की छूट है, जबकि उनके लिए धर्मों के द्वारा बंद है। इसके बारे में कंडकार की संदर्भ एवं क्षेत्रों के लिए गुणायार ही है और सत्य को सीमाबद्ध कर देने से उत्तरांश अवरोध की हानि नहीं उठानी पड़ती। नास्तिकवादी लोगों के लिए भी भारतीय संस्कृति के अंग बने रहने की छूट है, जबकि उनके लिए धर्मों के द्वारा बंद है। भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता है कर्मफल की मान्यता। पुनर्जन्म के सिद्धांत में जीवन की आशयकर्ता नहीं है। अपले दिनों वे भी अदृश्य व्यवस्था के अधार पर पिल कर रहे हैं। इस मान्यता को अपनाने वाला न तो निर्भय होकर दुर्दृश्य पर उत्तरांश के उत्तरांशीयों से निश्चय। अन्य वर्ष जहां अमृक मत का अवलोकन अव्याप्त प्रथा प्रतिष्ठान आगा ने मात्र रो इर्षा के प्रस्त्रता और अनुग्रह की बात कहते हैं, वहां भारतीय धर्म में कर्मफल की मान्यता को प्रशंसनी दी गई है और दुर्दृश्यों का प्रायश्चित्त करके क्षति पूर्ति करने को कहा गया है। अपने तारीफ के अंग बने रहने की छूट है, जबकि उनके लिए धर्मों के द्वारा बंद है। भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता है कर्मफल की मान्यता। पुनर्जन्म के सिद्धांत में जीवन की आशयकर्ता नहीं है। अपले दिनों वे भी अदृश्य व्यवस्था के अधार पर पिल कर रहे हैं। इस मान्यता को अपनाने वाला न तो निर्भय होकर दुर्दृश्य पर उत्तरांश के उत्तरांशीयों से निश्चय। अन्य वर्ष जहां अमृक मत का अवलोकन अव्याप्त प्रथा प्रतिष्ठान आगा ने मात्र रो इर्षा के प्रस्त्रता और अनुग्रह की बात कहते हैं, वहां भारतीय धर्म में कर्मफल की मान्यता को प्रशंसनी दी गई है और दुर्दृश्यों का प्रायश्चित्त करके क्षति पूर्ति करने को कहा गया है। अपने तारीफ के अंग बने रहने की छूट है, जबकि उनके लिए धर्मों के द्वारा बंद है। भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता है कर्मफल की मान्यता। पुनर्जन्म के सिद्धांत में जीवन की आशयकर्ता नहीं है। अपले दिनों वे भी अदृश्य व्यवस्था के अधार पर पिल कर रहे हैं। इस मान्यता को अपनाने वाला न तो निर्भय होकर दुर्दृश्य पर उत्तरांश के उत्तरांशीयों से निश्चय। अन्य वर्ष जहां अमृक मत का अवलोकन अव्याप्त प्रथा प्रतिष्ठान आगा ने मात्र रो इर्षा के प्रस्त्रता और अनुग्रह की बात कहते हैं, वहां भारतीय धर्म में कर्मफल की मान्यता को प्रशंसनी दी गई है और दुर्दृश्यों का प्रायश्चित्त करके क्षति पूर्ति करने को कहा गया है। अपने तारीफ के अंग बने रहने की छूट है, जबकि उनके लिए धर्मों के द्वारा बंद है। भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता है कर्मफल की मान्यता। पुनर्जन्म के सिद्धांत में जीवन की आशयकर्ता नहीं है। अपले दिनों वे भी अदृश्य व्यवस्था के अधार पर पिल कर रहे हैं। इस मान्यता को अपनाने वाला न तो निर्भय होकर दुर्दृश्य पर उत्तरांश के उत्तरांशीयों से निश्चय। अन्य वर्ष जहां अमृक मत का अवलोकन अव्याप्त प्रथा प्रतिष्ठान आगा ने मात्र रो इर्षा के प्रस्त्रता और अनुग्रह की बात कहते हैं, वहां भारतीय धर्म में कर्मफल की मान्यता को प्रशंसनी दी गई है और दुर्दृश्यों का प्रायश्चित्त करके क्षति पूर्ति करने को कहा गया है। अपने तारीफ के अंग बने रहने की छूट है, जबकि उनके लिए धर्मों के द्वारा बंद है। भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता है कर्मफल की मान्यता। पुनर्जन्म के सिद्धांत में जीवन की

मरुस्थलीकरण (रेगिस्तान का फैलना) आज विश्व भर में एक विकट समस्या बन गया है। उससे बड़ी संस्थाएँ में मनुष्य प्रभावित हो रहे हैं। वर्योंके रेत का सामाजिक बढ़ने से अन्न का उत्पादन घटता है और अनेक प्राकृतिक तंत्रों की धारण क्षमता कम होती है। पर्यावरण भी उसके कुप्रभावों से अदूता नहीं रह पाता। मरुस्थलीकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, जिससे विश्व भर के शुष्क क्षेत्रों में उपजाऊ जमीन अनुपजाऊ जमीन में बदल रही है। मानव गतिविधियाँ और भौगोलिक परिवर्तन, दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। शुष्क क्षेत्र ऊन इलाकों को कहते हैं, जहां ऊनी बारिश नहीं होती कि यहां हरियाली पनप सके। विश्व के कुल स्थल भाग का लगभग 40 प्रतिशत, अथवा 5.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर शुष्क है। मरुस्थलीकरण इन्हीं शुष्क भागों में अधिक देखने में आता है।



मिट्टी हो रही रेत

भारत का 69.6 प्रतिशत भूभाग (22.83 करोड़ हेक्टेयर) शुष्क माना गया है। यद्यपि इन शुष्क इलाकों की उत्पादनता काफी कम है, फिर भी दूध, मांस, रेशे, चमड़ा आदि के उत्पादन में वे काफी योगदान देते हैं। देश की आबादी का एक बहुत बड़ा भाग शुष्क इलाकों में रहता है। भारत में 17.36 करोड़ हेक्टेयर, अथवा देश के कुल क्षेत्रफल का 53 प्रतिशत, मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। ये इलाके अक्सर सूखे की चेपेट में भी रहते हैं।

सूखा मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को तेज कर देता है। राजस्थान का पश्चिमी भाग और गुजरात का कच्छ जिला लगभग सदा सूखे की गिरावट में रहते हैं।

मनुष्य तथा उसके पालतू पशु सदा से ही रेगिस्तानी इलाकों में रहते आ रहे हैं। विश्व के अन्य शुष्क इलाकों की तुलना में भारत के शुष्क इलाकों में मानव आबादी का दबाव कहीं ज्यादा

है। भारत के पास विश्व के कुल स्थल भाग का मात्र 2.4 प्रतिशत है, लेकिन कुल मानव आबादी का 16.67 प्रतिशत भारत में रहता है। इतना ही नहीं, भारत में विश्व में मौजूद चरागाहों का मात्र 0.5 प्रतिशत ही है, पर यहां विश्व में मौजूद मवेशियों का 18 प्रतिशत पलता है। मनुष्य और मवेशियों का यह असहीय दबाव मरुस्थलीकरण को बढ़ावा दे रहा है। थार रेगिस्तान के भौतिक भागों तक में खेती और पशुपालन का प्रसार हो रहा है। रेगिस्तानी इलाकों में पानी की सीमित उपलब्धि बानस्पतिक उत्पादकता की सीमा बांध देती है। वहां वर्षा भी बड़ी ही अनियमित हो गे होती है। इससे पैदा हुई अन्न की किलत से गरीब तबके के लोग सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। जीवित रहने के लिए उन्हें रेगिस्तान की

वनस्पति पर अत्यधिक निर्भर होना पड़ता है। जैसे-जैसे सूखों और मवेशियों की संख्या बढ़ती जाती है, यह निर्भरता भी बढ़ती है। किसी भी प्राकृतिक-तंत्र की धारण क्षमता सीमित होती है। इस सीमा का उल्लंघन होने पर वह तंत्र बिखरने लगता है। शुष्क इलाकों का प्राकृतिक तंत्र भी मनुष्य द्वारा डाले गए दबाव से आखिरकार चरमरा जाता है। यदि समय रहते इस विद्युनकारी प्रक्रिया को रोका नहीं गया, तो सारा तंत्र रेगिस्तान की भेंट चढ़ जाता है, अथवा अत्यधिक चर्चा और लकड़ी के लिए पेंडों की छंटाई के कारण उस तंत्र में उपयोगी पौधों की ताताद घट जाती है। उनका स्थान अनुपयोगी और अखाद्य पौधे ले लेते हैं। नरीया यह होता है कि वह तंत्र अब घरले से भी कम संख्या में मनुष्यों और मवेशियों को पांचित कर पाता है। यही दुश्चक मरुस्थलीकरण को गति देता है।

यद्यपि शुष्क इलाकों में बारिश कम होती है, पर जो बारिश होती है, वह काफी तेज और तूफानी ढंग की होती है। इससे इलाकों में बारिश अक्सर बाढ़ का रूप धारण करके उपजाऊ मिट्टी को बढ़ा ले जाती है। एक अनुमान के अनुसार बर्जंर इलाकों में हर हेक्टेयर क्षेत्र से हर साल पानी के कटाव से 16.35 टन मिट्टी बढ़ जाती है। इससे देश के बहुत बड़े बड़े इलाकों में खड़द और नाल बन गए हैं। और वे खेती के लिए नियम हो गए हैं। काफी इलाकों में रेत के टीटों ने अधिकार जमा लिया है। इस प्रकार अनुपयोगी बनी जमीन को सुन: उपजाऊ बनाने का काम वहां की मिट्टी की जिजीविया शक्ति पर निर्भर करता है, पर यदि समय रहते कदम न उठाए गए, तो यह मिट्टी ही लुप हो जाती है। बार-बार आने वाला सूखा मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को त्वरित कर देता है, यद्यपि सूखे का प्रभाव क्षणभंगर ही होता है।

अपानी हाल तक हर गांव में नदी-तालाब होते थे, जिनका पानी फसल आने के लिए पर्याप्त था। गांव के गोचरों में मवेशियों के लिए चारा पैदा होता था। आपसान के जंगलों से चुल्हे के लिए लकड़ी मिल जाती थी। आज इन्हीं गांवों का हाल बिलकुल बदल गया है। नदी-तालाब सूख गए हैं, अथवा उनमें पानी बहुत कम रह गया है। जो जलाशय बचे हैं, उनमें से कई तो इन्हें प्रदूषित हो गए हैं कि उनका पानी पीने लायक नहीं रह गया है।

मिट्टी को पहचंनेका समय से कृषि की उत्पादनीलता में जो कामी आई है, उसे लगभग 23,000 करोड़ रुपए आंका गया है। यह अत्यंत दुर्घायांपूर्ण है क्योंकि हमारे जैसे नियन्त्रित देश में बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने की जरूरत है, न बिना की।

मिट्टी को पहचंनेका समय से कृषि की उत्पादनीलता में जो कामी आई है, उसे लगभग 23,000 करोड़ रुपए आंका गया है। यह अत्यंत दुर्घायांपूर्ण है क्योंकि हमारे जैसे नियन्त्रित देश में बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि की उत्पादकता में बढ़ाने की जरूरत है, न बिना की।

मरुस्थलीकरण एक बहुआयामी समस्या है, जिसके जैविक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक आदि अनेक पक्ष हैं। इसीलए उससे नियन्त्रण में केंद्र और राज्य सरकारों की अनेक संस्थाएं योगदान दे रही हैं। मरुस्थलीकरण से लड़ रहे मुख्य मंत्रालयों में शामिल हैं पर्यावरण और वन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय।

सन 1985 में राष्ट्रीय भूमि-उपयोग एवं परती विकास परिषद को उच्चतम नीति-नियन्त्रक एवं समायोजक एजेंसी के रूप में गठित



किया गया। यह परिषद देश भर की जमीनों के प्रबंध से जुड़ी समस्याओं पर विचार करती है तथा नीतियां बनाती है। इस परिषद के अध्यक्ष स्वयं प्रधान मंत्री हैं। यह परिषद राष्ट्रीय भूमि-उपयोग एवं संरक्षण बोर्ड, राष्ट्रीय परती भूमि-उपयोग बोर्ड एवं राष्ट्रीय भूमि-उपयोग बोर्ड के कामों की देखरेख करती है। राज्य सरकार राष्ट्रीय भूमि-उपयोग बोर्ड का गठन किए गए हैं। इन्हें अन्य संस्थानों की उत्पादकता बढ़ाने की कार्यक्रम चाहते हैं।

पिछले कई सालों से शोध संस्थाएं कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों पर गहन अनुसंधान कार्यों में लगी हुई हैं। इन अनुसंधानों की प्राथमिकता रही है मरुस्थलीकरण रोकना और सूखा-पीड़ित इलाकों की उत्पादकता बढ़ाने की कार्यक्रम विशिष्ट विकास करना। इन अनुसंधान कार्यों को अधिक मदद देने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकार की अनेक अनुसंधान कार्यों को अधिकरित कराया गया है। इन्हें अनुसंधान कार्यों को अधिकरित कराया गया है। इन्हें अनुसंधान कार्यों को अधिकरित कराया गया है। इन्हें अनुसंधान कार्यों को अधिकरित कराया गया है।

पिछले कई सालों से कृषि की उत्पादनीलता में जो कामी आई है, उसे लगभग 23,000 करोड़ रुपए आंका गया है। यह अत्यंत दुर्घायांपूर्ण है क्योंकि हमारे जैसे नियन्त्रित देश में बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि की उत्पादकता में बढ़ाने की जरूरत है, न बिना की।

मरुस्थलीकरण एक बहुआयामी समस्या है, जिसके जैविक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक आदि अनेक पक्ष हैं। इसीलए उससे नियन्त्रण में केंद्र और राज्य सरकारों की अनेक संस्थाएं योगदान दे रही हैं। मरुस्थलीकरण से लड़ रहे मुख्य मंत्रालयों में शामिल हैं पर्यावरण और वन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय।

सन 1985 में राष्ट्रीय भूमि-उपयोग एवं परती विकास परिषद को

देती है। इन संस्थाओं के कार्यों को समर्थन देने के लिए काफी धनराशि उपलब्ध कराया गई है और नीतिमूलक संरचनाएं एवं विधि-कानून बनाए गए हैं। सन 1992 में जारी की गयी दो विकास विधियां ने मरुस्थलीकरण रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए। 15 जून 1994 को इस संधि को कानूनी स्वरूप दिया गया था। भारत ने उसे 17 दिसंबर 1996 को अनुमोदित किया। इस संधि का उद्देश्य है मरुस्थलीकरण रोकना तथा मरुस्थलीकरण और सूखे के कारण मानव सुमुदारों पर पड़ रहे विपरीत प्रभावों को कम करने के लिए एक नियन्त्रित कराया गया है। इस संधि के द्वारा विवरण आगे दिया जा रहा है। इसमें से कई परंपरिक विधियों का संक्षिप्त विवरण आगे दिया जा रहा है।

थार रेगिस्तान में वर्ष के कुछ ही महीने फसल उगाने के लिए उपयुक्त होते हैं। अतः वहां के लोगों ने अपनी आबादी बढ़ाने के लिए खेती के साथ पशुपालन भी करना सीधे लिया है। गर्भियों में वे बाजरा आदि खुरदुरे अनाजों की खेती करते हैं, जिन्हें बहुत कम पानी चाहिए होता है। लोकनां पानीवाल नामक एक काश्तकार सुमुदार वर्ष

